प्रेस नोट–188 / 2026
दिनांक 03.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ–डकैती की घटना में जनपद अयोध्या से वांछित रू0 50,000 / – का पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवम सिंह उर्फ आर्यन गिरफ्तार।

दिनांक 02–04–2026 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को थाना बीकापुर, जनपद अयोध्या में पंजीकृत मु0अ0सं0 298 / 2025 धारा 309(6), 317(2), 317(4) बी0एन0एस0 में वांछित रू0 50,000 / – के पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवम सिंह उर्फ आर्यन को थाना क्षेत्र छावनी जनपद बस्ती से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

शिवम सिंह उर्फ आर्यन पिता–रामचन्द्र सिंह निवासी–सिरसहवा थाना–परसरामपुर जिला बस्ती।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः

अमौनी नहर के पास थाना–छावनी जनपद बस्ती। दिनांक 02–04–2026, समय 18:35 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा फरार एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु विभिन्न इकाईयों / टीमों को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, अयोध्या द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपरोक्त के क्रम में उप निरीक्षक श्री सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में उ0नि0 श्री सुनील कुमार तिवारी, मु0आ0 संतोष सिंह, मु0आ0 अंजनी यादव मु0आ0 नीरज सिंह, मु0आ0 रजनीश सिंह, आरक्षी विनय प्रकाश राय एसटीएफ फील्ड इकाई अयोध्या की टीम जनपद बस्ती में भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अमौनी नहर थाना–छावनी जनपद बस्ती के पास मौजूद है। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए एसटीएफ टीम उक्त स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त शिवम सिंह उर्फ आर्यन पिता–रामचन्द उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शिवम सिंह उर्फ आर्यन ने पूछताछ में बताया कि उसका एक गिरोह है जो अपहरण, फिरौती, डकैती, चोरी जैसे अपराध करता है। अपराध के क्षेत्र में वर्ष–2019 से सक्रिय है। वर्ष–2022 में जनपद गोण्डा थाना छपिया के बहुचर्चित व्यापारी बबलू गुप्ता का अपने गैंग के सदस्यों (राजकुमार यादव, रवि प्रकाश मिश्रा, जुबेर व गौतम सिंह) के साथ अपहरण कर उनसे 20 लाख रूपये की फिरौती मांगी थी। इस घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें यह जेल भी गया था। वर्तमान समय में जनपद बस्ती के राजकुमार यादव एवं गोण्डा के विकास मिश्रा गैंग के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम देता है। 2/3 सितम्बर–2025 की रात्रि में एक मोटर साइकिल सवार व्यक्ति कही जा रहा था। उसी दौरान यह अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर उस व्यक्ति से लूट की घटना करके फरार हो गया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना बीकापुर, जनपद अयोध्या में उपरोक्त अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें यह वांछित चल रहा था एवं गिरफ्तारी हेतु रू0 50 हजार का पुरस्कार भी घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त शिवम सिंह उर्फ आर्यन को थाना बीकापुर, जनपद अयोध्या में पंजीकृत मु0अ0सं0 298/2025 धारा 309(6), 317(2), 317(4) बी0एन0एस0 में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त शिवम सिंह उर्फ आर्यन पिता–रामचन्द्र सिंह का आपराधिक इतिहासः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	09/2019	379, 411 भा0द0वि	परसरामपुर	बस्ती
2	92/2020	323, 325, 504 भा0द0वि	परसरामपुर	बस्ती
3	239/2020	07 आपराधिक कानून (संसोधन) अधि0, 307, 34, 41, 411, 414 भा0द0वि	परसरामपुर	बस्ती
4	240/2020	3/25 आर्म्स एक्ट	परसरामपुर	बस्ती
5	66/2021	3/25 आर्म्स एक्ट	छावनी	बस्ती
6	33/2022	323, 427, 504, 506 भा0द0वि0	परसरामपुर	बस्ती
7	76/2022	364ए, 120बी	छपिया	गोण्डा
8	115/2022	411, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0	छपिया	गोण्डा
9	116/2022	3/25 आर्म्स एक्ट	छपिया	गोण्डा
10	274/2022	3(1) गिरोहबन्द समाजबिरोधी कियाकलाप(निवारण) अधि0	छपिया	गोण्डा
11	298/2025	309(6), 317(2), 317(4) बी0एन0एस0	बीकापुर	अयोध्या

जनपद फतेहपुर/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 02.04.2026 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौफेरवा एनटीपीसी पावर हाउस के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सोनू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फतेहपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी कौडेरवा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मऊ/थाना मुहम्मदाबाद

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.04.2026 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर क्यामुद्दीनपुर मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आदर्श को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मऊ, गाजीपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आदर्श निवासी नखतपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर।

जनपद अयोध्या/थाना रूदौली

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 लाख रूपये कीमत की लूट के पीली धातु के आभूषण**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 02.04.2026 को थाना रूदौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–राहुल कुमार 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रूपये कीमत की लूट के पीली धातु के आभूषण, 02 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना रूदौली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रूदौली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रूदौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल कुमार निवासी पूरे प्रान नेवरा थाना मवई जनपद अयोध्या।

2–अभियुक्ता।

बरामदगी

1—लगभग 05 लाख रूपये कीमत की लूट के पीली धातु के आभूषण।

2—02 मोबाइल फोन।

3—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना तिलहर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 03.04.2026 को थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जैतीपुर तिराहे के पास से 03 अभियुक्तों 1—रामलखन उर्फ नन्हे 2—अवनीश 3—इमरान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामलखन उर्फ नन्हे निवासी ग्राम रमापुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।

2—अवनीश निवासी ग्राम रमापुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।

3—इमरान निवासी ग्राम फीलनगर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—चोरी की 06 मोटर साइकिल।

➢ **कमिश्नरेट आगरा/थाना सैंया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 15—15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना सैंया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—अड्डू उर्फ मोहन 2—मुक्के उर्फ मुकेश को आजीवन कारावास व 15—15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————